स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट का सारांश

ट्रिब्यूनल, अपीलीय ट्रिब्यूनल और अन्य प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) बिल, 2014

- कानून और न्याय संबंधी स्टैंडिंग कमिटी ने 26 फरवरी, 2015 को ट्रिब्यूनल, अपीलीय ट्रिब्यूनल और अन्य प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) बिल, 2014 पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। यह बिल राज्यसभा में 19 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत किया गया था और 26 फरवरी, 2014 को कमिटी के पास विचारार्थ भेजा गया था।
- बिल 26 केंद्रीय ट्रिब्यूनलों और प्राधिकरणों (अथॉरिटी) के अध्यक्षों (चेयरपर्सन) और सदस्यों के लिए सेवा की एक समान शर्तों को स्थापित करने का प्रयास करता है। कमिटी के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं:
- **ट्रिब्यूनलों का वर्गीकरणः** बिल के दायरे में 26 ट्रिब्यूनल और प्राधिकरण आते हैं। कमिटी ने पाया कि उन्हें एक साथ वर्गीकृत करने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है।
- कमिटी ने सुझाव दिया है कि एक समान सेवा शर्तों को निर्धारित करने के लिए ट्रिब्यूनलों को तीन विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः (i) ऐसे ट्रिब्यूनल जिनके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जज हों और जिनके आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती हो, (ii) ऐसे ट्रिब्यूनल जिनके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों और जिनके आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती हो, और (iii) ऐसे ट्रिब्यूनल जिनके प्रमुख जिला जज हों, जिनके पास कुछ निर्दिष्ट अनुभव हो या ऐसा व्यक्ति जिसके पास जिला जज बनने की क्वालिफिकेशन हो। कमिटी ने टिप्पणी की कि जो ट्रिब्यूनल निश्चित मानदंड पर योग्य नहीं पाए जाते, जिनमें रेगुलेटरी बॉडी भी शामिल हैं, उन्हें बिल के दायरे से बाहर कर दिया जाना चाहिए।
- **सेवानिवृत्ति की आयुः** बिल में पूर्व पद के आधार पर सदस्यों की सेवानिवृत्ति की भिन्न-भिन्न आयु का उल्लेख किया गया है। बिल कहता है कि सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु निम्नलिखित होगीः (i) सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के लिए 70 वर्ष, (ii) हाई कोर्ट के पूर्व जज के लिए 67 वर्ष, और (iii) अन्य के लिए 65 वर्ष। कमिटी ने कहा कि इस प्रकार एक ही श्रेणी के व्यक्तियों के साथ भिन्न-भिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाएगा, इसके बावजूद कि वे समान कार्य कर रहे हैं, एक ही ट्रिब्यूनल से जुड़े हुए हैं और उनके पास एक समान पद है। सेवानिवृत्ति की आयु पूर्व पद से संबंधित न होकर, उस पद से संबंधित होनी चाहिए जिस पर व्यक्ति की नियुक्ति हुई है। इसलिए यह सुझाव दिया गया कि अध्यक्ष और सदस्यों के लिए एक समान सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए।
- **कार्यकालः** बिल में ट्रिब्यूनल के सदस्यों के लिए पांच वर्ष के कार्यकाल का प्रावधान है। कमिटी ने सुझाव दिया कि सात साल की अवधि का प्रावधान किया जा सकता है जिससे सदस्यों के ज्ञान और विशेषज्ञता का बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सके।
- इसके अतिरिक्त कमिटी ने सुझाव दिया कि सरकार सभी ट्रिब्यूनलों में सावधिक (टैन्योर) नियुक्ति के बजाय नियमित नियुक्तियों की संभावना की जांच कर सकती है। प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किए गए सदस्यों के करियर की प्रगति के मुद्दे पर अच्छी तरह विचार करने के बाद यह फैसला किया जा सकता है।
- **पुनर्नियुक्तिः** बिल पांच वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति की अनुमति देता है। कमिटी ने संकेत दिया कि वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय टैक्स ट्रिब्यूनल के लिए ऐसे ही एक प्रावधान को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुनर्नियुक्ति के प्रावधान से सदस्यों की स्वतंत्रता पर असर होगा। कमिटी ने सुझाव दिया कि पुनर्नियुक्ति से संबंधित प्रावधान को हटा दिया जाना चाहिए।
- **छुट्टी को मंजूर करने वाली अथॉरिटीः** कमिटी ने कहा कि अगर मंत्री को छुट्टी मंजूर करने वाली अथॉरिटी बनाया जाएगा तो इससे ट्रिब्यूनल की स्वतंत्रता पर असर होगा। इसके बजाय, यह प्रस्ताव दिया गया कि एक स्वतंत्र एजेंसी जैसे राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल कमीशन (एनटीसी) उपयुक्त अथॉरिटी हो सकती है।

प्रियंका राव
prianka@prsindia.org

20 मार्च, 2015

- **एनटीसी का गठन**ः इसके अतिरिक्त, यह सुझाव दिया गया कि एनटीसी चयन प्रक्रिया, नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड और अध्यक्षों व सदस्यों को हटाने, संरचनात्मक तथा वित्तीय संसाधनों की आवश्यकताओं से जुड़े मामलों की देखरेख करेगा।
- **बर्खास्तगी का आधारः** कमिटी ने कहा कि अध्यक्ष और सदस्यों की बर्खास्तगी के आधार एक समान होने चाहिए जिन्हें बिल में शामिल किया जाना चाहिए।
- **बिल का कार्यान्वयनः** कमिटी ने सुझाव दिया कि बिल केवल उन्हीं सदस्यों और अध्यक्षों पर लागू होगा जिनकी ट्रिब्यूनल में नियुक्ति बिल के पारित होने के बाद हुई है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च ("पीआरएस") की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।